संख्या– 495 /4311/स0ना0उ0/जौलीग्राण्ट/2004–2007

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
राजकीय नागरिक उड्डयन विभाग,
उत्तरांचल ,
हैंगर, जौलीग्रान्ट एअरपोर्ट,
देहरादून।

नागरिक उड्डयन विभाग देहरादूनः दिनांक 21 मार्च,2007

विषय– जनपद देहरादून में जौलीग्राण्ट हवाई अड्डे के विस्तारीकरण हेतु 70 है0वन भूमि तथा विस्तारीकरण के फलस्वरुप 65 विस्थापित परिवारों के पुनर्वास हेतु देहरादून वन प्रभाग के लालपानी वन ब्लाक में 12.15 है0वन भूमि का नागरिक उड्डयन विभाग को वन भूमि संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त कर हस्तान्तरण के फलस्वरुप वन एवं पर्यावरण विभाग,भारत सरकार के दिशा निर्देशों के कम में एन0पी0वी0की अतिरिक्त धनराशि का भुगतान।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,वन विभाग,इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी,देहरादून के पत्र संख्या–1645/17–12–1(एन0पी0वी0) दिनॉक 11 दिसम्बर,2006 एवं प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग के पत्र संख्या–1709/5–12, दिनॉक 02–01–2007 एवं संख्या–2089/3–1, दिनॉक 09–02–2007 के सन्दर्भ में उपुर्यक्त विषयान्तर्गत पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–227/ 6039/ स0ना0उ0/ पी0एस0 (कैम्प)/2002–04,दिनॉक 19–12–2002 तथा शासनादेश संख्या–702/4311/ स0ना0उ0/2004–2005,दिनॉक 21 मार्च, 2006,जिनके द्वारा कमशः जौलीग्राण्ट की 70 है0वन भूमि के क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये रुपये 49.00 लाख तथा लालपानी वन ब्लाक में 12.15 है0 वन भूमि के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रुपये 10,15,740.00 तथा एन0पी0वी0 की धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में रुपये 91.125 लाख अर्थात् सुगमॉकिंत रुपये 1,01,29,000.00 स्वीकृतियॉ निर्गत कर धनराशि बैंक ड्राफट के माध्यम से वन विभाग को उपलब्ध कराई की गई थी,के कम में अब चूँकि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या–5–2/2006–एफ0सी0,दिनॉक 3–10–2006 द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों पर रिट याचिका संख्या–1473 एवं 1620 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनॉक 15–9–2006 के द्वारा यह आदेश पारित किये गये हैं कि ऐसे समस्त मामले,जिनमें भारत सरकार द्वारा दिनॉक 30–10–2002 को अथवा उसके उपरान्त अन्तिम स्वीकृति जारी की गई है,उसमें प्रयोक्ता ऐजेन्सीज से भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर से एन0पी0वी0 की धनराशि प्राप्त की जाय । अतएव इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त प्रश्नगत हस्तान्तरित वन भूमि जिसका कब्जा विभाग के पास है,के सम्बन्ध में आगे दी जा रही तालिका के विवरणानुसार संगत मद से रुपये 449.00 लाख (रुपये चार करोड़ उन पचास लाख मात्र) तथा संलग्नक बी0एम0–15 के प्रपत्र के विवरणानुसार धनराशि को बचतों से पुनर्विनियोग से प्राप्त रुपये 81,48,900.00 (रुपये इक्यासी लाख अड़तालीस हजार नौ सौ मात्र) की धनराशि अर्थात् कुल रुपये 5,30,48,900.00 (रुपये पॉच करोड़ तीस लाख अड़तालीस हजार नौ सौ मात्र) की धनराशि

को वित्तीय वर्ष 2006–2007 में व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्न प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– तालिका

कम संख्या	व्यय से सम्बन्धित विवरण	व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि	विभाग / अधकारी जिसको धनराशि उपलब्ध कराई जानी है ।
01	जनपद देहरादून में जौलीग्राण्ट हवाई अड्डे के विस्तारीकरण हेतु 70.00 है0वन भूमि को नागरिक उड्डयन विभाग को हस्तान्तरण के फलस्वरुप मा0उच्चतम् न्यायालय के निर्णायानुसार एन0पी0वी0 की धनराशि का भुगतान	5,25,00,000.00	Compensatory Afforestation fund, Uttaranchal A/C No. CA1594 (Payable at New Delhi) by B.D.
02	जनपद देहरादून में जौलीग्राण्ट हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के फलस्वरुप 65 विस्थापित परिवारों के पुर्नवास हेतु देहरादून वन प्रभाग के लालपानी वन ब्लाक में 12.15 है0 वन भूमि का नागरिक उड्डयन विभाग को हस्तान्तरण के फलस्वरुप		
	1–प्रस्तावित कार्य स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थल पर उचित वृक्षारोपण	4,74,300.00	5,48,900.00–प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग देहरादून को रेखॉकिंत बैंक ड्राफट द्वारा
	2–सीमॉकन एवं पीलर लगाने का व्यय	74,600.00	
	योग:–	5,30,48,900.00	

रुपये पॉच करोड़ तीस लाख अड़तालीस हजार नौ सौ मात्र

3– उक्त धनराशि की अलग से स्वीकृति नहीं दी जा रही है,बल्कि इसका व्यय शासनादेश संख्या–60 / IX(31) /2006-2007/ बजट / प्लान / नानप्लान / 2006–2007,दिनॉक 08 मई,2006 द्वारा आपके निवर्तन पर रखी गई धनराशि से ही व्यय किया जायेगा ।

4– उक्त धनराशि की विधिवत प्राप्ति रसीद प्राप्त कर ली जाय ।

5– धनराशि को व्यय करते समय मितब्ययता सम्बन्धी नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31–3–2007 तक कर के शासन को सूचित कर दिया जायेगा और ऐसा न करने की स्थिति में बची धनराशि उक्त तिथि तक शासन को सर्म्पित कर दी जायेगी।

7— उक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2006—2007 के लिये प्राविधानित मद के कियान्वयन के लिये ही किया जायेगा,अन्यत्र मदों में धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये ।

8— व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों / निर्देशों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो,उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये ।

9— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006—2007 के अनुदान संख्या—24 के लेखाशीर्षक 5053 नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय 02—विमानपत्तन 800—अन्य व्यय—आयोजनागत 03 हवाई पट्टी के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर का भुगतान— 24 वृहद् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा ।

10— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—2252 / XXVII (2)/ 2007 दिनांक 20 मार्च,2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या— ५९५ / 4311 / स0ना0उ0 / जौलीग्राण्ट / 2004—2007,समदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

01— महालेखाकार, उत्तरांचल ओबरॉय मोटर बिल्डिंग, माजरा, देहरादून ।
02— सचिव, वन एवं पर्यावरण,उत्तराखण्ड शासन,देहरादून
03— नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,वन विभाग,इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी,उत्तरॉचल,देहरादून ।
04— प्रभागीय वनाधिकारी,देहरादून वन प्रभाग,देहरादून ।
05— विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,देहरादून ।
06— कोषाधिकारी,देहरादून ।
07— वित्त अनुभाग—2
08— गार्ड फाईल ।
09— एन0आई0सी0 उत्तरांचल ।
10— सम्बन्धित पत्रावलियों में अभिलेख हेतु

आज्ञा से,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव

आय–व्ययक प्रपत्र–15 पुर्नविनियोग–2006–2007 (हजार रू0 में)

आयोजनागत से आयोजनागत

नियन्त्रक अधिकारी, प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, प्रशासनिक विभा–प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन, उत्तराखण्ड शासन, अनुदान संख्या–24

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–1 में अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
लेखाशीर्षक 5053–नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय 02–विमान पत्तन 800–अन्य व्यय 04–हवाई पट्टी का सुदृढीकरण एवं अन्य सम्बद्ध निर्माण कार्य 24–वृहत निर्माण कार्य 1200.00	1000.56	—	199.44(क)	लेखाशीर्षक 5053–नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय 02–विमान पत्तन–आयोजनागत 800–अन्य व्यय 03–हवाई पट्टी के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर का भुगतान 24–वृहत निर्माण कार्य 81.49 (ख)	2100.00	11,18.51	(क) आवश्यकता न होने के कारण (ख) बजट प्राविधान में अधिक आवश्यकता होने के कारण
1200.00	1000.56	—	199.44	81.49	21,81.49	11,18.51	

प्रमाणित किया जाता है कि पुर्नविनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155, 156 में उल्लिखित प्राविधानों एवं सीमाओं का उल्लघन नहीं होता है।

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव
नागरिक उड्डयन

उत्तराखण्ड शासन
वित्त–विभाग
संख्या– 2252(क)/XXVII(2)/2007
देहरादूनःदिनांक 20 मार्च, 2007

पुर्नविनियोग स्वीकृत
ह0
एन0एन0 थपलियाल
अपर सचिव, वित्त

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तराखण्ड,, ओबराय भवन,
माजरा, देहरादून

संख्या– ४१५ /4311/स0ना0उ0/जौलीग्राण्ट/2004–2007,तद्दिनॉकिंत

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वरिष्ट कोषाधिकारी, देहरादून
2– वित्त अनुभाग–2

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव
नागरिक उड्डयन